राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 284/2013

भीमराज बडौदिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
2. निदेशक, सोशल ऑडिट, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर सह जिला कार्यक्रम समंवयक, उदयपुर।
4. विकास अधिकारी सह परियोजना अधिकारी, मनरेगा, पंचायत समिति, खेरवाडा, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.04.2013
आदेश की दिनांक : 03.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली नोटिस दिनांक 02.01.2012 एवं 04.05.2012 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर आदेश दिनांक 26.10.2006 के द्वारा हुई थी और उसे पंचायत समिति, खैरवाडा, जिला उदयपुर पदस्थापित किया गया। मनरेगा कार्य के दौरान अपीलार्थी को जेटीए के पद पर कार्य करने की अनुमति दी गई। अपीलार्थी कार्यों में कोई अनियमितता नहीं पायी गई। परंतु एक शिकायत के

आधार पर एकतरफा जांच अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रारंभ की गई और अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये राशि रूपये 26,281.25/– की वसूली आदेश दिनांक 02.01.2012 के द्वारा जारी की गई और नोटिस दिनांक 04.05.2012 के द्वारा राशि रूपये 69,592/– की भी अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली जारी की गई और यह कहा गया कि उक्त वसूली जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अपीलार्थी ने उक्त वसूली के संबंध में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि कुछ कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें दिनांक 17.12.2012 के द्वारा माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये कि कार्मिकों के कार्यों एवं जांच पूर्ण उपरांत उनके द्वारा दिये गये जवाब पर विचार करते हुये निस्तारण करें और उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करते हुये आख्यात्मक आदेश जारी करें। उनका कथन है कि वसूली नोटिस जारी किया गया था, परंतु कोई अंतिम आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी के मामलें में कोई निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 09.04.2013 को वसूली नोटिस के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली नोटिस दिनांक 02.01.2012 एवं 04.05.2012 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 02.01.2012 एवं 04.05.2012 नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर आदेश दिनांक

26.10.2006 के द्वारा हुई थी। शिकायत के आधार पर एकतरफा जांच अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रारंभ की गई और अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये राशि रूपये 26,281.25/– की वसूली आदेश दिनांक 02.01.2012 के द्वारा जारी की गई और नोटिस दिनांक 04.05.2012 के द्वारा राशि रूपये 69,592/– की भी अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली जारी की गई और यह कहा गया कि उक्त वसूली जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अपीलार्थी ने उक्त वसूली के संबंध में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 09.04.2013 को वसूली नोटिस के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन दिनांक 09.04.2013 को एवं उसके पक्ष को सुनते हुये राज्य सरकार के परिपत्रों/दिशा–निर्देशों/नियमों एवं माननीय न्यायालय द्वारा उक्त मामले के समान प्रकरणों में पारित न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुये उक्त अभ्यावेदन का इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह में निस्तारित करें। जिसकी सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उक्त निर्देशों के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य